न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 339 / 2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 जालमसिंह पुत्र आसूसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी भाडखा तहसील व जिला बाडमेर।		1 इन्द्रसिंह 2 चन्दनसिंह पिसरान बगतावरसिंह 4 जमनादेवी पत्नी लक्ष्मणसिंह 4 दिनेशसिंह 5 तेजमालसिंह 6 राणसिंह पिसरान लक्ष्मणसिंह 7 हिन्दूसिंह पुत्र बगतावरसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी भाडखा तहसील व जिला बाडमेर 8 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act.

उपस्थिति :– 1 श्री कुन्दनसिंह वकील प्रार्थी।
2 श्री डालूराम गोदारा 01 से 03, 06 व 07 वकील

आदेश

दिनांक 17/08/21

संक्षिप्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा भाडखा पटवार मण्डल भाडखा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 615 / 155 रकबा 46.04 बीघा भूमि प्रार्थी की खातेदारी की आई हुई है, जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। प्रार्थी के सेढासेढ अप्रार्थी संख्या 01 से 07 का खसरा संख्या 616 / 155 आया हुआ है, जो समस्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 07 की संयुक्त खातेदारी की थी, जिसे प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 से 07 ने आपसी सहमति से बंटवाड़ा करवा कर कब्जा व काश्त करते आ रहे है। उक्त बंटवाडे के समय जो नक्शा तैयार किया गया वह सही तैयार किया गया उक्त नक्शे के अनुसार कब्जा व काश्त वर्तमान में है, परन्तु लठ्ठा ट्रेस में उक्त नक्शा वं कब्जा काश्त अनुसार तरमीम नही की गई। वर्तमान में लठ्ठा ट्रेस के अनुसार कब्जा काश्त में अन्तर है। प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 615 / 155 रकबा 46.04 बीघा की गलत तरमीम को लठ्ठा ट्रेस में शुद्ध करने का निवेदन किया तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत संलग्न नक्शा के अनुसार लठ्ठा ट्रेस में तरमीम दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 01, 02, 03, 06 व 07 के वकील उपस्थित। वकील अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत कर जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन गलत तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण की भूमि में अवैध रूप से मकान बना दिया है जिस भूमि को हड़पने की नीयत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र के संलग्न जो नक्शा पेश किया है वह वास्तविक कब्जे से गलत है तथा प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण की भूमि हड़पने की नीयत से आवेदन प्रस्तुत किया है जो खारिज योग्य है।

तहसीलदार बाडमेर से मौके की रिपोर्ट अभिलेख के परिप्रेक्ष्य में तलब की गई। तहसीलदार बाडमेर के पत्रांक भू.अ. / 21 / 3960 दिनांक 13.08.2021 द्वारा प्रतिवेदन

उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर

इस आशय का उपलब्ध करवाया कि मौजा भाडखा के खसरा संख्या 615/155 रकबा 46.04 बीघा भूमि में प्रार्थी की खातेदारी का आया हुआ है। मूल खसरा संख्या 155 विभाजन से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में था। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण आपसी सहमति से मूल खसरा संख्या 155 का बंटवाड़ज्ञ करवाया। वर्तमान में प्रार्थी की रहवासी ढाणी, टांका आदि मौके पर 616/155 खसरा नम्बर में बने हुए है, जो वर्तमान में अप्रार्थीगण इन्द्रसिंह वगैराह के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के खेतों का बंटवड़ा के समय नक्शा तैयार किया गया उस नक्शे में जो तरमीम की गई वह प्रार्थी के कथनानुसार वह सही थी, परन्तु लठ्ठा ट्रेस में जो तरमीम की गई वह तरमीम प्रार्थी का रहवासी मकान, टांका आदि प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 615/155 में मौका अनुसार नही है। वर्तमान में रेकर्ड व मौका की जांच करन पर पाया गया कि रेकर्ड अनुसार संलग्न पेरिशिष्ठ 'अ' अनुसार है। उक्त तरमीम अनुसार प्रार्थी की रहवासी ढाणी उसके सेढा पडौसी अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 616/155 में बनी हुई है। वर्तमान में परिशिष्ठ 'ब' अनुसार मौके पर कब्जा काश्त है तथा परिशिष्ठ 'ब' अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित है। उक्त भूमि का विभाजन श्रीमान् तहसीलदार बाडमेर के आदेश क्रमांक 71 दिनांक 12.04.2004 की पालना में तरमीम की गई थी।

उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभय पक्षों द्वारा तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर सहमति प्रकट की है। अतः तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका प्रतिवेदन के मद्देनजर मौजा भाडखा तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 615/155 व 616/155 की वर्तमान तरमीम निरस्त कर तहसीलदार बाडमेर द्वारा मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'ब' अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका प्रतिवेदन के मद्देनजर प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा भाडखा तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 615/155 रकबा 46.04 बीघा भूमि की लठ्ठा ट्रेस में की गई तरमीम तहसीलदार बाडमेर द्वारा फर्द मौका व संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'ब' में दर्शाये बरंग लाल अनुसार दुरूस्त की जाती है। फर्द मौका के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'ब' आदेश का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में शुद्ध करें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 17/03/21 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर